


होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन मुख्यालय मध्यप्रदेश  
परिपत्र-27

क्रमांक पाँच-17/1305/के0क0नि0/18,

जबलपुर, दिनांक 27-08-2018  
भोपाल

मुख्यालय के आदेश क्रमांक पांच-17/3755/के0क0नि0/2018, जबलपुर दिनांक 27.04.2018 में आंशिक संशोधन किया जाकर आदेशित किया जाता है कि, अधिकारी/कर्मचारियों का (अशासकीय निधि) मासिक चन्दा, प्रतिमाह न काटा जाकर वर्ष में एक बार माह जुलाई पेड अगस्त के वेतन से एक मुश्त काटा जावे। अतः समस्त होमगार्ड ईकाई प्रमुख एवं एस.डी.ई.आर.एफ. अपनी पदस्थापना में पदस्थ नियमित शासकीय सेवक की कटौती की राशि मुख्यालय के अशासकीय निधि खाते में जमा करें, तथा माह अगस्त की 10 तारीख तक बैंक वाईस सूची मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजने की व्यवस्था करेंगे।


2 - सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों से उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक चंदे की राशि की गणना कर उनके सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त किया जाकर मुख्यालय को सूचित किया जावे।

  
(महान भारत सागर)  
डायरेक्टर जनरल 27.8  
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं  
आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक पाँच-17/1306/के0क0नि0/18,  
प्रतिलिपि -

जबलपुर, दिनांक 27-08-2018  
भोपाल

- 1 - एडीशनल डायरेक्टर जनरल, एस.डी.ई.आर.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल को सूचनार्थ।
- 2 - सीनियर स्टॉफ आफीसर स्था0/प्रशि0/वित्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 - कमाण्डेंट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड मंगेली, जबलपुर मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 - आहरण एवं संवितरण अधिकारी मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 - समस्त डिवीजनल कमाण्डेंट होमगार्ड/एस.डी.ई.आर.एफ, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6 - समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट होमगार्ड/एस.डी.ई.आर.एफ, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
(महान भारत सागर)  
डायरेक्टर जनरल 27.8  
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं  
आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

आंतरिक:-

पी0एस0टू0डी0जी0  
पी0ए0टू0ए0डी0जी0  
पी0ए0टू0ए0सी0जी0